HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 16450/2026
CNR: RJHC020995352026 | URN: CRLMB / 30378U / 2026

Gabbar S/o Risalsingh, R/o Pranpura, Police Station Bawal, District Rewari, Haryana. (At Present Confined In Sub Jail Kishangarhbas).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manjeet Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Ms. Bhavna Jat

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

28/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **29/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 324(2), 309(4), 309(6) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25, 5/27 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी की जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.05.2026 को निरस्त होने के बाद प्रकरण में सहअभियुक्त सचिन उर्फ सच्चू पुत्र रामजस एवं राकेश का तृतीय जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.10.2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी का मामला उनसे भिन्न नहीं है। प्रकरण में उन्होंने परिवादी रोहित का एक शपथ–पत्र पेश किया है जिसमें उसने प्रार्थी के साथ राजीनामा होना बताया है तथा आहत सचिन पुत्र सूबे भी आज न्यायालय में उपस्थित है, जिसने प्रकट किया है कि उसका राजीनामा

अभियुक्त गब्बर के साथ हो गया है, यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है तो उसे आपत्ति नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को अभिरक्षा में पक्षाघात हुआ है और उसका उपचार अभिरक्षा में ही चल रहा है, वह अभी आरबीएम अस्पताल भरतपुर में भर्ती है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

परिवादी रोहित के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है, जिन्होंने प्रकट किया कि प्रार्थी को यदि जमानत पर मुक्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय में आहत सचिन जाट पुत्र बलजेन्द्र उपस्थित है, जिसने प्रकट किया कि उसका राजीनामा प्रार्थी/अभियुक्त से हो गया है, यदि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि सहअभियुक्त सचिन उर्फ सच्चू पुत्र रामजस को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2026 को जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त से परिवादी एवं आहत का राजीनामा हो जाने का तथ्य सामने आया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर परिवादी रोहित का शपथ–पत्र उपलब्ध है। आहत सचिन जाट ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा प्रार्थी के साथ होना प्रकट किया है एवं उसने तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उसे जमानत दिए जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को पक्षाघात होने के कारण वह अस्पताल में भर्ती है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **गब्बर पुत्र रिसाल सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय

में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

99/AJAY KUMAR SINGHAL